

[2023] 5 एस. सी. आर. 582

/

[2023] 5 एस सी आर।

/

शेली ओबरोई और ए. एन. आर. बनाम

दिल्ली और ओ. आर. एस. के लेफ्टिनेंट गवर्नर का कार्यालय। (2023 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 152)

फरवरी 17, 2023

/

[डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, सीजेआई, पमिडीगंथम श्री नरसिम्हा और जे. बी. पारदीवाला]

दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957: धारा 3(3)(ख) (i), 35 (1), 73-दिल्ली नगर निगम के महापौर और उपमहापौर का चुनाव, यदि एक साथ आयोजित किया जाना है-नगर निगम के नामित सदस्यों का मतदान करने का अधिकार-आयोजित: दिल्ली नगर निगम की पहली बैठक में, चुनाव पहले महापौर पद के लिए किया जाएगा और महापौर के चुनाव के बाद, महापौर उपमहापौर और स्थायी समिति के सदस्यों के चुनाव के संचालन के लिए पीठासीन प्राधिकारी के रूप में कार्य करेगा। 3(3)(ख) (i) वोट देने का अधिकार नहीं होगा-दिल्ली नगर निगम (कार्य प्रक्रिया और संचालन) विनियम 1958-नियम 7-भारत का संविधान-Art.243R। रमेश मेहता बनाम संदल चंद सिंह (2004) 5 एससीसी

/

/

/

409 - संदर्भित किया गया।

संदर्भित निर्णय

(2004) 5 एस. सी. सी. 409

संदर्भित

पैरा **13**

नागरिक मूल न्यायनिर्णय: 2023 की लिखित याचिका (सिविल) संख्या 152।

/

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत) डॉ. ए. एम. सिंघवी, वरिष्ठ अधिवक्ता, शादन फरासत, अमित भंडारी, सुश्री हृषिका जैन, शौर्य दासगुप्ता, सुश्री मेरगांका कुकरेजा, अमन नकवी, अधिवक्ता।याचिकाकर्ताओं के लिए।

/

तुषार मेहता, एस. जी., संजय कुमार जैन, ए. एस. जी., श्रीमती गरिमा प्रसाद, मनिंदर सिंह, रंजीत कुमार, वरिष्ठ अधिवक्ता।, कानू अग्रवाल, पद्मेश मिश्रा, संजय Kr.Tyagi, अर्काज कुमार, श्रीकांत नीलप्पा तेरदल, निशित अग्रवाल, सुश्री कनिष्का मित्तल, सुश्री वन्या अग्रवाल, गौरव शर्मा, धवल मोहन, प्रतीक भाटिया, प्रभास बजाज, परांजय त्रिपाठी, नीरज, अमित तिवारी, अमन झा, सुरेंद्र गुप्ता, ऋषि टूटू, ए।

/

582

583

शेली ओबरोई बनाम दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर का कार्यालय

सुश्री मेघा शर्मा, सुश्री आकांक्षा गुप्ता, शौमेंदु मुखर्जी, अधिवक्ता।उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई

1. 4 दिसंबर 2022 को हुए चुनावों के बाद दिल्ली नगर निगम के गठन से संबंधित विभिन्न राहतों की मांग के लिए संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का उपयोग किया गया है।ये चुनाव 250 पार्षदों के चुनाव के लिए आयोजित किए गए थे।पहला याचिकाकर्ता महापौर पद के लिए संभावित उम्मीदवार होता है।हालांकि चुनाव की तारीख को दो महीने से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन महापौर का चुनाव नहीं हुआ है।

/

/

2. दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 1 का अध्याय 2 निगमों की स्थापना से संबंधित है। धारा 35 (1) में प्रावधान है कि एक निगम प्रत्येक वर्ष अपनी पहली बैठक में अपने सदस्यों में से एक को अध्यक्ष के रूप में चुनेगा, जिसे महापौर के रूप में जाना जाता है, और एक अन्य सदस्य को निगम का उपमहापौर चुना जाएगा।धारा 3 नगर निगम की स्थापना के लिए प्रावधान करती है।धारा 3 की उप-धारा (3) निगम की संरचना को इंगित करती है।प्रावधान के संदर्भ में,

एक निगम पार्षदों से बना होना चाहिए। वार्ड निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाताओं के माध्यम से सीधे चुने जाने वाले पार्षदों के अलावा, ऐसे पार्षद भी होते हैं जिन्हें प्रशासक द्वारा नामित किया जाता है। फिर भी अन्य का प्रतिनिधित्व पदेन प्रतिनिधियों के रूप में किया जाता है। धारा 3 की उप-धारा (3) का खंड (बी) उन व्यक्तियों को निर्दिष्ट करता है जिनका निगम में प्रतिनिधित्व किया जाएगा। इनमें शामिल हैं:

/

/

“(i) दस व्यक्ति, जिनकी आयु 25 वर्ष से कम नहीं है और जिन्हें नगरपालिका प्रशासन में विशेष ज्ञान या अनुभव है, उन्हें प्रशासक द्वारा नामित किया जाएगा।

/

हालांकि, धारा 3 (3) (बी) (आई) के परंतुक में कहा गया है कि "इस उपखंड के अंतर्गत नामित व्यक्तियों को निगम की बैठकों में मतदान करने का अधिकार नहीं होगा"।

3. अधिनियम का अध्याय V एक निगम द्वारा प्रक्रिया और व्यवसाय के लेन-देन से संबंधित है। धारा 72 (1) में प्रावधान है कि निगम सामान्य रूप से व्यवसाय के लेन-देन के लिए हर महीने कम से कम एक बैठक आयोजित करेगा। धारा 73 में प्रावधान है कि आम चुनाव के बाद निगम की पहली बैठक जल्द से जल्द आयोजित की जाएगी।

/

1 “एक्ट ”

/

584

/

[2023] 5 एस सी आर।

धारा 14 के अंतर्गत चुनाव के परिणामों का प्रकाशन और प्रशासक द्वारा बुलाया जाएगा। धारा 74 बैठकों और व्यवसाय के लेन-देन की सूचना प्रदान करती है। धारा 76 (1) में कहा गया है कि एक महापौर, या उनकी अनुपस्थिति में, उप महापौर निगम की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता करेगा। धारा 77 महापौर के चुनाव के लिए एक बैठक में पीठासीन अधिकारी के लिए प्रावधान करती है। धारा 77 के खंड (ए) में प्रावधान है कि महापौर के चुनाव के लिए एक बैठक में, प्रशासक एक ऐसे पार्षद को नामित करेगा जो बैठक की अध्यक्षता करने के लिए ऐसे चुनाव के लिए उम्मीदवार नहीं है। धारा 78 सामान्य प्रश्नों को तय करने की विधि प्रदान करती है। धारा 82 निगम को अपनी बैठकों में व्यवसाय के लेन-देन के लिए विनियम बनाने का अधिकार देती है।

/

/

4. हालाँकि इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को कई राहतों की मांग के लिए लागू किया गया है, लेकिन विवाद का मुद्दा दो मुद्दों तक सीमित हो गया है। पहला मुद्दा यह है कि क्या धारा 3 (3) (बी) (आई) के अंतर्गत प्रशासक द्वारा नामित किए गए सदस्यों को निगम की पहली बैठक में मतदान करने का अधिकार है, जहां महापौर का चुनाव किया जाएगा। दूसरा मुद्दा चुनाव कराने के आदेश से संबंधित है, विशेष रूप से, क्या, जैसा कि याचिकाकर्ता दावा करते हैं, महापौर के पद के लिए चुनाव पहले किया जाएगा और उसके बाद उपमहापौर और स्थायी समिति के अन्य सदस्यों के लिए चुनाव होगा, जिसकी अध्यक्षता महापौर करेंगे। विरोधी दृष्टिकोण यह है कि सभी चुनाव एक साथ आयोजित किए जाएंगे।

/

/

5. हमने श्री शादान फरासत के साथ याचिका के समर्थन में वरिष्ठ वकील डॉ. ए. एम. सिंघवी को सुना है। दिल्ली नगर निगम की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री संजय जैन पेश हुए। उपराज्यपाल की ओर से सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता पेश होते हैं। महापौर पद के लिए चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार की ओर से वरिष्ठ वकील श्री रंजीत कुमार पेश होते हैं। दूसरे प्रतिवादी की ओर से वरिष्ठ वकील श्री मनिंदर सिंह पेश हुए हैं।

/

6. संविधान का अनुच्छेद 243 आर संविधान के भाग IXA में सन्निहित है जो नगर पालिकाओं से संबंधित है। अपने भौतिक संदर्भों में, अनुच्छेद 243 आर निम्नानुसार प्रदान करता है:

/

“243 आर. नगर पालिकाओं की संरचना

(1) खंड (2) में दिए गए प्रावधान के अलावा, नगर पालिका में सभी सीटें नगर पालिका क्षेत्र में क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए व्यक्तियों द्वारा भरी जाएंगी और इस उद्देश्य के लिए प्रत्येक नगर पालिका क्षेत्र को क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा जिन्हें वार्ड के रूप में जाना जाएगा।

/

/

(2) किसी राज्य का विधानमंडल, विधि द्वारा, (क) नगरपालिका में प्रतिनिधित्व के लिए-(i) नगरपालिका प्रशासन में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्तियों के लिए प्रावधान कर सकता है।

((ii) लोक सभा के सदस्य और राज्य की विधान सभा के सदस्य जो ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनमें पूरी तरह से या आंशिक रूप से नगरपालिका क्षेत्र शामिल है; (iii) राज्य परिषद के सदस्य और राज्य विधान परिषद के सदस्य नगर निगम क्षेत्र के भीतर निर्वाचकों को पंजीकृत करते हैं; (iv) अनुच्छेद 243S के खंड (5) के अंतर्गत गठित समितियों के अध्यक्ष:

/

/

बशर्ते कि पैराग्राफ (i) में निर्दिष्ट व्यक्तियों को नगर पालिका की बैठकों में मतदान करने का अधिकार नहीं होगा।

/

(ख) नगरपालिका के अध्यक्ष के चुनाव का तरीका। "

7. अनुच्छेद 243 आर के खंड (1) में कहा गया है कि नगर पालिका की सभी सीटों को नगर पालिका क्षेत्र के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से सीधे चुनाव द्वारा भरा जाएगा, जिसके लिए नगर पालिका क्षेत्र वार्डों में विभाजित है। तथापि, खंड (2) में एक अपवाद निर्धारित किया गया है, जिसके संदर्भ में किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा खंड (i), (ii), (iii) और (iv) में दिए गए विवरणों को पूरा करने वाले व्यक्तियों के नगरपालिका में प्रतिनिधित्व का प्रावधान कर सकता है। अनुच्छेद 243 आर (2) (ए) (आई) में प्रावधान है कि किसी राज्य का विधानमंडल, विधि द्वारा, नगरपालिका प्रशासन में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्तियों के नगरपालिका में प्रतिनिधित्व का प्रावधान कर सकता है। हालांकि, खंड (2) के परंतुक में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया गया है कि जिन व्यक्तियों को पैराग्राफ (i) में संदर्भित किया गया है, उन्हें नगर पालिका की बैठकों में मतदान करने का अधिकार नहीं होगा। राज्य का विधानमंडल नगरपालिका के अध्यक्ष के चुनाव के तरीके के लिए भी प्रावधान कर सकता है।

/

/

/

8. अधिनियम की धारा 3 (3) अनुच्छेद 243 आर द्वारा अनुध्यात एक विधि है। अनुच्छेद 243 आर के खंड (2) के संदर्भ में, धारा 3 (3) (बी) नगरपालिका में उन व्यक्तियों के

प्रतिनिधित्व का प्रावधान करती है जिन्हें नगरपालिका प्रशासन में विशेष ज्ञान या अनुभव है। इन व्यक्तियों को प्रशासक द्वारा नामित किया जाता है। हालांकि, अनुच्छेद 243 आर (2) के प्रावधान के संदर्भ में, धारा के प्रावधान में इसी तरह का प्रतिबंध लगाया गया है।

/

586

/

[2023] 5 एस सी आर।

3(3)(ख) (i) अधिनियम, जिसके द्वारा मनोनीत सदस्यों को नगर निगम की बैठकों में मतदान करने का अधिकार नहीं है।

9. डॉ. ए. एम. सिंघवी द्वारा याचिकाकर्ताओं की ओर से जो निवेदन किया गया है, वह यह है कि निगम के नामित सदस्यों को महापौर के चुनाव सहित मतदान करने का अधिकार नहीं है।

/

10. दूसरी ओर, उपराज्यपाल की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल और नगर निगम की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री संजय जैन दोनों ने आग्रह किया है कि अनुच्छेद 243 आर (2) के साथ-साथ धारा 3 (3) (बी) (आई) के प्रावधान के संदर्भ में मतदान के अधिकार पर प्रतिबंध केवल निगम की नियमित बैठकों पर लागू होता है जहां नगर निगम का कार्य किया जाता है और चुनाव के बाद पहली बैठक तक इसका विस्तार नहीं होगा। निवेदन को दरकिनार करते हुए, यह आग्रह किया गया है कि धारा 73 में प्रशासक द्वारा निगम की पहली बैठक बुलाने की आवश्यकता है और धारा 35 में कहा गया है कि अपनी पहली बैठक में निगम अपने सदस्यों में से एक को महापौर और दूसरे को उपमहापौर के रूप में चुनेगा। इसलिए, यह प्रस्तुत किया गया है कि मतदान के अधिकार के प्रयोग पर प्रतिबंध जो नामित सदस्यों से जुड़ा हुआ है, निगम की पहली बैठक तक नहीं फैला है। वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रंजीत कुमार ने अनुच्छेद 243 आर (2) के खंड (बी) के प्रावधानों की ओर इशारा किया, जिसके अनुसार राज्य विधानमंडल विधान द्वारा नगर पालिका के अध्यक्ष के चुनाव के तरीके का प्रावधान कर सकता है।

/

/

/

11. हम उस निवेदन को स्वीकार करने में असमर्थ हैं जिसका आग्रह नगर निगम और उपराज्यपाल की ओर से और उनका समर्थन करने वाले वकील द्वारा किया गया है। वैधानिक प्रावधान का स्रोत संविधान के अनुच्छेद 243 आर में ही निहित है। संविधान का भाग IXA

संविधान (74 वां संशोधन) अधिनियम 1992 द्वारा पेश किया गया था। अनुच्छेद 243 आर नगरपालिकाओं की संरचना के लिए प्रावधान करता है। जैसा कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है, संविधान में नगरपालिका की सभी सीटों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान है, सिवाय खंड (2) के जो अपवादों को स्पष्ट करता है। खंड (2) में अन्य बातों के साथ-साथ नगरपालिका प्रशासन में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्तियों के साथ-साथ अन्य व्यक्तियों जैसे कि लोक सभा और विधान सभा के सदस्य और विशिष्ट निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले राज्य परिषद और राज्य विधान परिषद के सदस्य और अनुच्छेद 243S के खंड (5) के अंतर्गत गठित समितियों के अध्यक्षों के नगरपालिका में प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान हैं। संविधान ने एक प्रतिबंध लगाया है जिसके संदर्भ में ए

/

/

/

587

शैली ओबेरॉय बनाम दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर का कार्यालय [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] ए

जिन नामित सदस्यों को उनके विशेष ज्ञान या नगरपालिका प्रशासन में अनुभव के कारण लाया जाता है, उन्हें मतदान करने का अधिकार नहीं है। यही प्रतिबंध अधिनियम की धारा 3 (3) (बी) (आई) में वैधानिक मान्यता पाता है। उपरोक्त प्रावधानों से संकेत मिलता है कि उपखंड के अंतर्गत नामित व्यक्तियों को निगम की बैठकों में मतदान करने का अधिकार नहीं होगा। संविधान और अधिनियम उनके अनुभव को महत्व देते हैं लेकिन निगम की बैठकों में उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं दिया जाता है। निगम की बैठकों में आम चुनाव के बाद होने वाली पहली बैठक सहित सभी बैठकें शामिल होंगी। अधिनियम की धारा 73 में परिणाम प्रकाशित होने के बाद जितनी जल्दी हो सके प्रशासक द्वारा पहली बैठक बुलाने का प्रावधान है, जबकि धारा 35 में निगम की पहली बैठक में महापौर और उपमहापौर के चुनाव का प्रावधान है। इसलिए, धारा 3 (3) (बी) (आई) के संदर्भ में मतदान के अधिकार का प्रयोग करने वाले नामित सदस्यों पर प्रतिबंध निगम की पहली बैठक पर भी लागू होगा, जिसमें महापौर और उसके बाद उपमहापौर का चुनाव किया जाना है।

/

/

/

12. उपरोक्त मुद्दे के अलावा, इस बात पर जोर देने की आवश्यकता है कि दिल्ली नगर निगम (कार्य प्रक्रिया और संचालन) विनियम 1958 के विनियम 7 में कहा गया है कि जैसे ही महापौर का चुनाव होता है, "वह उसके शेष कार्य के लेन-देन के लिए बैठक की अध्यक्षता करेगा।" विनियम 8 उपमहापौर के चुनाव के लिए प्रावधान करता है और यह निर्धारित करता है कि विनियम 6 के प्रावधान, जहां तक हो सके, उपमहापौर के चुनाव पर लागू होंगे, इस संशोधन के अधीन कि पीठासीन प्राधिकारी के किसी भी संदर्भ को महापौर के संदर्भ के रूप में माना जाएगा। इन प्रावधानों से यह स्पष्ट हो जाता है कि महापौर का चुनाव पहले होना चाहिए। इसके बाद निर्वाचित महापौर को पीठासीन प्राधिकारी के रूप में उपमहापौर के चुनाव की अध्यक्षता करनी होती है। नतीजतन, इस स्पष्टीकरण के साथ, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि महापौर का चुनाव दिल्ली नगर निगम की पहली बैठक में पहले आयोजित किया जाएगा। एक बार महापौर के निर्वाचित होने के बाद, निर्वाचित महापौर उपमहापौर के चुनाव के उद्देश्य के लिए पीठासीन प्राधिकारी होगा।

/

/

/

13. कानून के प्रावधानों पर हमने जो व्याख्या की है, वह इस कानून की तीन-न्यायाधीशों की पीठ के निर्णय के अनुरूप है।

रमेश मेहता बनाम सांवल चंद सिंह 2 में न्यायालय ।

2 (2004) 5 एस. सी. सी. 409

/

588

/

[2023] 5 एस सी आर।

14. हम इस स्तर पर यह भी नोट कर सकते हैं कि 2 फरवरी 2023 को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार के शहरी विकास विभाग ने एक अधिसूचना जारी कर स्पष्ट किया है कि अधिनियम की धारा 35 के अनुसार महापौर का चुनाव पहले किया जाएगा और इस प्रकार निर्वाचित महापौर फिर अध्यक्ष पद ग्रहण करेगा और उपमहापौर और स्थायी समिति के छह सदस्यों के चुनाव का संचालन करने के लिए आगे बढ़ेगा। उपरोक्त अधिसूचना 6 फरवरी 2023 को होने वाली एक बैठक के संदर्भ में जारी की गई थी, जो बीच की परिस्थितियों के कारण उस दिन आयोजित नहीं हो सकी थी।

/

15. श्री संजय जैन ने संकेत दिया है कि महापौर, उपमहापौर और स्थायी समिति के सदस्यों के चुनाव के लिए आगामी बैठक में भी इसी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।

/

16. इसलिए, हम निम्नलिखित निर्देश जारी करते हैं:

(i) दिल्ली नगर निगम की पहली बैठक में, महापौर पद के लिए पहले चुनाव किया जाएगा और उस चुनाव में, अधिनियम की धारा 3 (3) (बी) (आई) के संदर्भ में नामित सदस्यों को मतदान करने का अधिकार नहीं होगा; (ii) महापौर के चुनाव के बाद, महापौर, उपमहापौर और स्थायी समिति के सदस्यों का चुनाव कराने के लिए पीठासीन प्राधिकारी के रूप में कार्य करेगा, जिस पर धारा 3 (3) (बी) (आई) के संदर्भ में नामित सदस्यों द्वारा मतदान करने पर प्रतिबंध भी जारी रहेगा; और

/

/

(iii) दिल्ली नगर निगम की पहली बैठक बुलाने का नोटिस चौबीस घंटे की अवधि के भीतर जारी किया जाएगा। नोटिस पहली बैठक बुलाने की तारीख तय करेगा जिस पर उपरोक्त निर्देशों के अनुसार महापौर, उपमहापौर और स्थायी समिति के सदस्यों का चुनाव किया जाएगा।

/

17. याचिका को उपरोक्त शर्तों में अनुज्ञात गई है। 18. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा कर दिया जाता है।

/

निधि जैन

याचिका की अनुज्ञात गई।

(सहायक: राखी, एलसीआरए)

/